



राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 20, बुधवार, शाके 1944-अक्टूबर 12, 2022  
Asvina -20, Wednesday, Saka 1944- October 12, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 11, 2022

जी.एस.आर.84 :-गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 57) की धारा 17 की उप-धारा (2) सपठित उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.23 (2) चिकि. एवं स्वा./गुप-3/2003/पार्ट दिनांक 01.07.2003, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति "संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान" प्रतिस्थापित की जाएगी।

[संख्या प.23(2)चिस्वा./गुप-3/2003 पार्ट]

राज्यपाल की आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार बंसल,  
संयुक्त शासन सचिव।